# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या 01 / 2020

प्रविष्टि दिनांक 17.02.2020

जरिए रामभजन मीणा प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

कमलेश साहू बडा कुआं टोंक शहर
– अप्रार्थी

**जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत**

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार –प्रार्थी की ओर से

2– श्री अशोक कुमार साहू, अभिभाषक –अप्रार्थी

**निर्णय** **दिनांक 01.08.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में दिनांक 09.01.2020 को जांच दल द्वारा श्री कमलेश साहू बड़ा कुआँ टोंक शहर के मकान पर 14.2 Kg क्षमता के घरेलू गैस के अवैध बिक्री की कार्यालय में प्राप्त सूचना पर जॉच हेतु मौके पर पहुंचे। मौके पर श्री कमलेश साहू उपस्थित मिलें,जिनकी उपस्थिति में मकान की तलाशी ली गई,जिसमें कुल 4 घरेलू सिलेण्डर मौके पर पाये गये मे से 2 भरे हुए सिलेण्डर घर के बाहर बरामदा में रखे हुए थे। दोनो सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा न ही मौके पर उक्त दो सिलेण्डरों के बारे में कोई दस्तावेज पेश किये है। उक्त सिलेण्डरों को अवैध रूप से विक्रय करने के लिए मकान के बाहर रखा हुआ है जो एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन है। इस कारण दोनो सिलेण्डरों को जब्त किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

| क.सं. | एस.आर. नम्बर | कम्पनी का नाम | मानक भार | खाली सिलेण्डर वनज | सिलेण्डर वजन तौलने पर | शुद्व गैस (मात्रा kg में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 76179 | IOC | 14.2 | 16.1 | 30.3 | 14.2 |
| 02 | 1449205 | BPC | 14.2 | 15.7 | 25.8 | 10.1 |
| | | | | | योग | 24.3 kg |

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों को अवैध रूप से विक्रय करने हेतु भण्डारण किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है । अतः उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 24.3 kg एलपीजी गैस जब्त किया गया। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है।उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि जांच दल ने गलत रूप से प्रार्थी के मकान में घुसकर कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण अ0 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।जबकि प्रार्थी द्वारा कोई अपराध धारा– 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नही किया गया है। प्रार्थी गैस सिलेण्डरों का उपयोग अपने घरेलू कार्यो मे करता है, न की किसी व्यवसायिक गतिविधियो मे। प्रार्थी के पास से ऐसा कोई व्यवसायिक उपकरण बरामद नही किया गया है,जिससे घरेलू गैस सिलेण्डरो का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियो मे किया जा रहा हो। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानो का उल्लघंन नही किया गया है।प्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही करने से पूर्व किसी भी प्रकार की सुनवाई का कोई समूचित अवसर प्रदान नही किया गया है और ना ही कार्यवाही करने के दौरान किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये है।प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मात्र रंजिश वंश प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है । प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है और ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पेश [illegible] किया गया है।प्रार्थी उत्तरदाता,उसका बडा भाई व भाभी व माता उसके भतीजे–भतीजी [illegible] साथ संयुक्त मकान में अलग–अलग निवास कर अपना जीवन यापन करते है,जिनके [illegible] अलग–अलग तीन गैस कनेक्शन है तथा मौके पर वक्त निरीक्षण पा[illegible] बाबत निरीक्षणकर्ता को उन सिलेण्डरो का घरेलु उपयोग [illegible] करना भी बताया गया था,परन्तु प्रवर्तक निरीक्षक ने प्रार्थी उत्तरदाता की कोई बात ना सुनकर मनमर्जी से चार सिलेण्डरो मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

से 2 सिलेण्डर अवैध बताकर जप्ती की कार्यवाही की गई है। जिला रसद अधिकार एंव प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त सिलेण्डरो को गलत रूप से जब्त किया है,जिनको वापस दिलवाया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में दिनांक 09.01.2020 को जांच दल द्वारा श्री कमलेश साहू बडा कुआँ टोंक शहर के मकान पर 14.2 Kg क्षमता के घरेलू गैस के अवैध बिक्री की कार्यालय में प्राप्त सूचना पर जॉच हेतु मौके पर पहुंचे। मौके पर श्री कमलेश साहू उपस्थित मिलें जिनकी उपस्थिति में मकान की तलाशी ली गई जिसमें कुल 4 घरेलू सिलेण्डर मौके पर पाये गये,जिनमें 2 सिलेण्डर घर के अन्दर व 2 भरे हुए सिलेण्डर घर के बाहर बरामदा में रखे हुए थे। मौके पर श्री कमलेश साहू से पुछताछ करने पर घर के अन्दर के दोनो सिलेण्डर स्वयं के गैस कनेक्शन के होना स्वीकार कर डायर प्रस्तुत की जिसका क्रमांक 18271 अंकित था तथा बाहर रखे दोनो सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और ना ही दस्तावेज पेश किये है।इससे स्पष्ट है कि श्री कमलेश साहू द्वारा उक्त सिलेण्डरों को अवैध रूप से विक्रय करने के लिए मकान के बाहर रखे हुये थे जो कि एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन है। इस प्रकार दोनो सिलेण्डरों को जब्त किया गया व मौके पर ही टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार महावर पुत्र श्री दुर्गालाल महावर निवासी टोंक को बुलाकर सिलेण्डरों की तौल करवाई जाने के बाद सुपुर्दगी मे दिये गयें। व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों को अवैध रूप से विक्रय करने हेतु भण्डारण किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है । अतः उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 24.3 kg एलपीजी गैस जब्त किया गया तथा जब्त गैस सिलेण्डरों को सुरक्षा की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार महावर को सपुर्दगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 24.3 kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

Signature Not Verified

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि ... को ही बहस माना जावे।

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:00 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीलार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस/जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। मौका जप्ती दि0 09.01.2020 के अनुसार कमलेश साहू पुत्र सूरजमल साहू निवासी बडा कुआं टोंक के मकान की तलाशी/निरीक्षण

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

करने पर मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मे से 2 गैस सिलण्डेर बाबत श्री कमलेश साहू द्वारा संतोषप्रद जवाब नही दिये जाने पर उनको जब्त किया गया।सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है ।

| क.सं. | एस.आर. नम्बर | कम्पनी का नाम | मानक भार | खाली सिलेण्डर वनज | सिलेण्डर वजन तौलने पर | शुद्व गैस (मात्रा kg में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 76179 | IOC | 14.2 | 16.1 | 30.3 | 14.2 |
| 02 | 1449205 | BPC | 14.2 | 15.7 | 25.8 | 10.1 |
| | | | | | योग | 24.3 kg |

शिकायत प्राप्त होने पर जांच दल द्वारा जांच करने पर मकान मे मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया।फर्द मौका/जप्ती पर सुशील, कमलेश तथा इकबाल अहमद के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी किशोर व इकबाल अहमद के हस्ताक्षर है तथा स्वतंत्र गवाह सुशील कुमार महावर प्रतिनिधि टोक गैस डिस्ट्रिब्युटर्स के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी के 2 गैस सिलेण्डरो को जब्त किया गया है,जबकि उक्त गैस सिलेण्डर प्रार्थी के परिवार वालो के ही थे,परन्तु इस कथन कि तायद मे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को दुकान नुमा घर के सामने रखकर विकय किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 2 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 24.3 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को ख[illegible]लय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:00 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते